प्रेषक,

अजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2022

विषय:- निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार, इटावा के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जमा की गयी जी0एस0टी0 एवं विद्युत बिल के संयोजन की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30851/नम-4/195/भाग-3, दिनांक-16.12.2020 एवं पत्र संख्या-13176/नम-4/195/भाग-3/इटावा, दिनांक-22.04.2022 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार, इटावा में जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 06,20,62,692/- एवं विद्युत संयोजन हेतु रू0 1,48,24,881/- अर्थात कुल रू0 7,68,87,573/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्माणाधीन जिला कारागार, इटावा के निर्माण की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-03/2015/1590/22-4-2014-48(28)/13टीसी, दिनांक-03.01.2015 द्वारा रू0 18391.88 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या-144/2015/820/22-4-15-48(28)/13, दिनांक-22.07.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या-23/2016/294/22-4-16-48(28)13टीसी, दिनांक-10.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 2800.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-394/22-4-2016-48(28)/13, दिनांक-31.03.2016 द्वारा संशोधित आगणन रू0 25226.00 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-64/2016/517/22-4-16-48(28)/13टीसी, दिनांक-16.05.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 7835.60 लाख एवं शासनादेश संख्या-189/2016/1355/22-4-16-48(28)/13, दिनांक-15.12.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 3000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-55/2017/779/22-4-17-48(28)/13, दिनांक-19.09.2017 द्वारा रू0 2000.00 लाख, शासनादेश संख्या-89/2017/1223/22-4-17-48(28)/13, दिनांक-29.12.2017 द्वारा रू0 2000.00 लाख, शासनादेश संख्या-50/2018/387/22-4-18-48(28)/13टीसी, दिनांक-29.03.2018 द्वारा रू0 1829.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। पुन: शासनादेश संख्या-29/2020/804/22-4-2020-48(28)/13, दिनांक-06.10.2020 द्वारा रू0 27231.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-31/2020/885/22-4-20-48(28)/13, दिनांक-04.11.2020 द्वारा रू0 1905.03 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-105/2021/524/22-4-2021-48(28)/13टीसी, दिनांक-03.11.2021 द्वारा रू0 684.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार अब तक कुल धनराशि रू0 26554.52 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार इटावा के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 27231.30 लाख में क्रमशः जी0एस0टी0 एवं विद्युत संयोजन की धनराशि क्रमशः रू0 6,20,62,692/- एवं रू0 1,48,24,881/- अर्थात कुल रू0 7,68,87,573/- (रूपया सात करोड़ अड़सठ लाख सत्तासी हजार पॉच सौ तिहत्तर मात्र) इस प्रकार प्रायोजना की कुल लागत रू0 27231.30 लाख+ रू0 768.87573 लाख= रू0 28000.17573 लाख पुनरीक्षित होगी। अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 28000.17573 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जी0एस0टी0 एवं विद्युत संयोजन की कुल धनराशि रू0 7,68,87,573/- (रूपया सात करोड़ अड़सठ लाख सत्तासी हजार पॉच सौ तिहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जी0एस0टी0 की धनराशि की गणना की शुद्धता का समस्त उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा ।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा ।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) निर्माण कार्य निधारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश दिनांक- 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक कर लिया जाएगा ।

(7) प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-03.01.2015 एवं पुनरीक्षित विषयक शासनादेश दिनांक-06.10.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,68,87,573 (रुपये सात करोड़ अड़सठ लाख सतासी हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-27-X-2022-23 दिनांक: 02 -06-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-101/2022/486/001-22-4-2022-48-28-2013, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10)गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.nic

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।